भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2743
सोमवार, 17 मार्च, 2025 / 26 फाल्गुन, 1946 (शक)

झारखंड में संविदा पर कार्यरत और आउटसोर्स किए गए कामगारों की छंटनी

2743. श्रीमती जोबा माझी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोजगार प्रदान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धताओं के बावजूद विगत दस वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों में संविदा पर कार्यरत और आउटसोर्स किए गए कामगारों में से छंटनी किए गए कामगारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि झारखंड में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र, सेल, सीमेंट, कोयला और परिवहन कंपनियों में छंटनी से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हो गई है जो जनजातीय बहुल झारखंड के लिए अच्छा संकेत नहीं है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी कंपनियों को श्रम कानूनों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए उचित कदम उठाने का निदेश देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक निष्पादित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छंटनी से संबंधित मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। आईडी अधिनियम के अनुसार, 100 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने या छंटनी या ले-ऑफ करने से पहले समुचित सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होती है। आईडी अधिनियम छंटनी और ले-ऑफ किए गए श्रमिकों के लिए मुआवजे का अधिकार भी प्रदान करता है और छंटनी किए गए श्रमिकों की पुनः नियुक्ति के लिए उपबंध भी करता है।

एक विषय के रूप में "श्रम" समवर्ती सूची में आता है। आईडी अधिनियम में निर्धारित अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के आधार पर, केंद्रीय और राज्य सरकारें श्रमिकों के मुद्दों को संबोधित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करती हैं। केंद्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में, केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिसमें छंटनी से संबंधित मामले और इसकी रोकथाम शामिल हैं।

भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एसएआईएल) द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, पिछले दस वर्षों में, झारखंड में सीधे नियुक्त ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों और दैनिक वेतन श्रमिकों को उनके द्वारा निकाला नहीं गया है।

*****